# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या : 2024/159**

देवीशंकर पुत्र प्रेमचन्द जाति तेली निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

––अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति वक्त बहस :– 1. श्री बनवारी लाल नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

**निर्णय** दिनांकः **17.02.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि.....यह कि वाके ग्राम मण्डाना तह. लाडपुरा, जिला कोटा में हाल खसरा नंबर 1663 रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की 0.48 हैक्टर आराजी स्थित है। वादी का उक्त आराजीयात पर करीब 33 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त आराजी के चारो तरफ पत्थर की कोट करके बाउण्ड्रीवाल कर रखी है। वादी ने उपरोक्त आराजीयात को काफी रूपया पैसा लगाकर मेहनत मजदूरी करके काबिल काश्त बनाया है। वादी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात में मेहनत करके पत्थर आदि निकाल कर उक्त आराजीयात को काश्त योग्य बनाया है।वादी उपरोक्त आराजीयात पर निरंतर करीब 33 वर्ष से भी अधिक समय से अबाध्य रूप से शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। वादी द्वारा उक्त खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात वाके ग्राम मण्डाना, तह लाडपुरा, जिला कोटा राज, पर काफी वर्षों से निरंतर काबिज काश्त करके तिल्ली आदि की फसल करता आ रहा है। वादी ने उक्त आराजीयात पर खसरा नंबर 1663 की 150 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की 0.48 हैक्टर आराजी को अपने नाम आवंटन करवाने हेतु काफी समय पूर्व से जिला कलेक्टर महोदय

**अपील संख्या 2024/159**

**देवीशंकर बनाम सरकार**

कोटा, उपखण्ड अधिकारी कोटा केम्प प्रशासन न्याय आपके द्वार आदि को कई प्रार्थना पत्र समय समय पर दिये गये, लेकिन उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वादी के नाम आज तक भी नहीं किया, जबकि वादी भूमीहीन काश्तकार व्यक्ति है तथा वादी उक्त आराजीयात को कानूनन अअपने नाम खातेदारी करवाने का अधिकारी है। वादी उक्त दोनो खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर व खसरा नंबर 1666 की 0.48 हैक्टर आराजीयात का काफी समय से तावान राशि, जुर्माना, लगान आदि जमा करता आ रहा है तथा वादी उक्त आराजीयात पर काफी समय से काबिज काश्त करता आ रहा है। इस कारण से वादी उक्त आराजीयात अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है अथवा वादी अपने नाम नियमन कराने का अधिकारी है।वादी की कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात को प्रतिवादी अन्य वयक्तियों को आवंटन कराने पर आमादा है तथा वादी के पास माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने व माननीय न्यायालय से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नही है। इसलिये उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 18.12.18 को उत्पन्न हुआ, जब वादी द्वारा उक्त वर्णित विवादित आराजीयात को अपने नाम रेवेन्यू रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रतिवादी को जर्ये वकील रजिस्टर्ड नोटिस 2 माह का दिलवाया गया, जो प्रतिवादी को प्राप्त होने के बाद भी उक्त नोटिस में वर्णित अवधि समाप्त होने पर भी प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार वादी को नहीं देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा व निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमाई जावे कि वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम मण्डाना तह. लाडपुरा, जिला कोटा की हाल खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नंबर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान करे अथवा उक्त आराजी वादी को नियमन करने की सिफारिश की जावे, एवं आवंटन में प्राथमिकता दी जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी की उक्त वर्णित आराजीयात वाके मण्डाना, तह लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नंबर 1663 की रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नंबर 1666 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजीयात को किसी भी व्यक्ति को आवंटन न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, प्रतिनिधी से ही करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2024 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। अपीलांट के विद्वान अधिववक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवकता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी प्रार्थी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 28.06.2024 को हुई तब अपीलांट व अपीलांट के वकील साहब ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित दावा मे वास्ते साक्ष्य बहस हेतु गये तब उक्त आदेश की जानकारी हुई तथा उसके बाद अपीलांट ने दिनांक 03.07.2024 को उक्त आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उक्त आदेश की नकल दिनांक 19.07.2024 को प्राप्त होने पर उक्त अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है। उक्त लगे समय को कण्डोन फरमाया जावे।अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि समय अवधि कंडोन की जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाने की कृपा करे। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त दिनो को कन्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत होने से उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1663 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 1666 की 0.48 है० आराजी स्थित है तथा अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर करीब 35 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलाण्ट ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त करता आ रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसके सम्बन्ध मे कोई विवेचन नहीं करके भारी त्रुटि की है इसलिये उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के कब्जे काश्त के संबंध मे किसी भी प्रकार का विदेचन किये बिना ही उक्त आदेश दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात पर काफी समय से कब्जा काश्त साबित कर दिया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर किये बिना ही उक्त आदेश जैर अपील खारिज करने मे त्रुटि की है इसलिये भी अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया तथा उक्त मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किये बिना ही उक्त आदेश देने में भारी भूल की है इसलिये उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश कानून से परे जाकर उक्त आदेश जैर अपील दिया है जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में वादी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 1663 रकबा 1.50 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.48 हैक्टयर के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत मूलवाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2024 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। चूंकि वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूलवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है अतः प्रश्नगत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.04.2024 में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2024 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा